राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन सं. 93/2017/जयपुर
रेक्टिफिकेशन सं. 94/2017/जयपुर

माइक्रोमैक्स इंफोरमैटिक्स लि.
शर्मा कॉलोनी, जयपुर। ....प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर। ....अप्रार्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। ......प्रार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक ......प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.10.2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा क्रमशः अपील संख्या 854 एवं 855/2015/जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.06.2017 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं।

2. चूंकि दोनों रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्रों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया जाकर मोबाईल बैट्री/चार्जर इत्यादि को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर आदेश दिनांक 15.07.2014 पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने कर व ब्याज को यथावत रखा। अपीलार्थी द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने पर उन्होने चार्जर को सेलफोन का पार्ट नहीं मानते हुए अनुसूची–V के अन्तर्गत कर दर 8.5, 9 व 10 का आरोपण कर दिया। अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 27.06.2017 को संशोधित करने हेतु यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय खण्डपीठ ने चार्जर को अनुसूची–V में मानते हुए कर दर 8.5, 9 व 10 प्रतिशत से आरोपित की गई, जबकि राजस्थान सरकार की अधिसूचना F.12(11)FD/Tax/2013-111 दिनांक 06.03.2013 के अनुसार चार्जर को अनुसूची–IV में माना गया है, जिसमें कि कर दर 5/5.5 प्रतिशत है। अतः इस बिन्दु पर अपील में संशोधन किया जाकर प्रस्तुत दोनों

लगातार...............2

रेक्टिफिकेशन स्वीकार किये जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक कर बोर्ड के आदेश दिनांक 27.06.2017 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस सुनने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना F.12(11)FD/Tax/2013-111 दिनांक 06.03.2013 के अनुसार अधिनियम की अनुसूचि चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 को संशोधन कर प्रविष्टि संख्या 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की कर देयता में रख दिए जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात् बैट्री चार्जर/एडोप्टर पर कर दर संशोधित दर से लागू होगी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दानों रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र इस बिन्दु तक स्वीकार किये जाते है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य